FAX / Email

महत्वपूर्ण

संख्या–698 / छः–पु0–9–16–31(16) / 2016

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल,2016

विषयः **सदर मालखाना एवं थानों के मालखानों के मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थित सदर मालखाना एवं प्रत्येक थाने के मालखानों में बहुत से माल अत्यधिक समय से एकत्रित हैं, जिनमें अधिकॉश माल ऐसे हैं जिनके मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि थाना स्तर पर भारी संख्या में दो पहिया वाहन, साइकिलें, चार पहिया वाहन एवं अन्य सम्पत्तियॉ ऐसी भी हैं जिनका पुनः उपयोग हो सकता है। इन सम्पत्तियों को नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही कराकर नीलामी से प्राप्त धनराशि सरकारी कोष में जमा करायी जा सकती है और इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप थानों का अधिकॉश स्थान, जो वाहनों द्वारा घिरा हुआ है, खाली हो जायेगा।

2– ज्ञातव्य है कि धारा 451 दण्ड प्रकिया संहिता में कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिये आदेश शीर्षक के अन्तर्गत तथा धारा 457 दण्ड प्रकिया संहिता में सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रकिया शीर्षक के अन्तर्गत विधिक व्यवस्था अंकित की गई है। परन्तु विगत वर्षों में मालों के निस्तारण में गतिशीलता लाने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है। जबकि वर्ष 2002 में मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह व्यवस्था दी गई थी कि बहुमूल्य वस्तुयें, करेन्सी नोट, सोने चॉदी के आभूषण एवं वाहन आदि के मुकदमें लम्बित रहते हुये मालखानों में इनके जमा किये रहने की कोई उपयोगिता नहीं है। उल्लेखनीय है कि मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में दिये गये निर्णय के बाद मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रगति सराहनीय नहीं रही है अन्यथा इतनी संख्या में माल अनिस्तारित नहीं पाये जाते।

3– अतः मालों को न्यायालय में उपलब्ध कराने एवं मालों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः–

(1) जनपदों में जिन थानों अथवा सदर मालखानों में नियमित मालखाना मोहर्रिर तैनात नहीं है वहॉ पर तत्काल मालखाना मोहर्रिर की नियुक्ति की जाये और साक्ष्य में उसे पेश किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वह मालखानों में रखे माल की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूची तैयार करें, ताकि बिना माल के मामले के गवाह वापस न जांय।

(2) प्रायः मालखाना मोहर्रिर के पद पर जिस आरक्षी की तैनाती होती है वह शीघ्रता से कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तथा यह बहाना बनाता है कि मालों की दशा ठीक नहीं है तथा जीर्णशीर्ण दशा में माल हैं या मालों की संख्या में अनियमितता है। ऐसे मालखानों में

जहॉ पर चार्ज हस्तगत नहीं हो पाया है वहॉ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक एवं अभियोजन अधिकारी (तीन सदस्यों) की एक कमेटी बनाकर मालखानों के मालों की इन्वेन्ट्री बनाकर मालखाना मोहर्रिर को चार्ज हस्तगत कराया जाये।

(3) थाने के मालखानों एवं सदर मालखानों का अच्छा रखरखाव व सफाई सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित अधिकारी नियमित रूप से मालखानों का निरीक्षण करें एवं अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करें।

(4) थानाध्यक्ष की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह तारीख पेशी पर साक्ष्य के समय मालमुकदमाती न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करें यदि किसी परिस्थिति में माल नहीं आता है और इसके लिए समुचित कारण विद्यमान नहीं हैं, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यदि संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा उदासीनता बरती जाती है तो थानाध्यक्ष के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) मालों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा यथावश्यकता लोहे की आलमारी एवं बाक्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जायें।

(6) आरोप पत्र के सुसंगत कॉलम में माल मुकदमाती का विवरण अंकित किया जाये।

(7) जहां किसी सम्पत्ति को पुलिस द्वारा सीज किया जाता है वहां सम्बन्धित थानाध्यक्ष न्यायालय को सात दिन के अन्दर सम्पत्ति को सीज करने की सूचना प्रेषित करें एवं इस सम्बन्ध में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर माल का निस्तारण सुनिश्चित करें।

(8) वाहनों के सम्बन्ध में एम0वी0 एक्ट की धारा 158 नियम 203 का सपठित प्रपत्र एस0आर0—48 का (अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट) अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। प्रत्येक विवेचक दुर्घटना के मुकदमों की विवेचना करते समय उपरोक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करने से विरत रहने पर उसके विरूद्ध धारा 23 सपठित 29 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यदि वाहन का कोई दावेदार न हो तो बीमा कम्पनी के नेटवर्क द्वारा वास्तविक स्वामी का पता लगाया जाये।

(9) सदर मालखाना या थानों के मालखानों में रखे हुये माल, जिनके मुकदमों का निस्तारण हो चुका है, उनका यथाशीघ्र अभियान चला कर निस्तारण कराया जाये।

(10) जहॉ तक अवैध शराब या नारकोटिक्स औषधि का सम्बन्ध है, उनके सैम्पल रासायनिक परीक्षण हेतु यथाशीघ्र भेजने के उपरान्त विधि व्यवस्था के अनुसार उनका निस्तारण कर दिया जाये।

(11) लकड़ियों के सम्बन्ध में लकड़ी का सैम्पल ले कर जॉच करा ली जाये तथा शेष लकड़ियों को नियमानुसार रिलीज़ कर दिया जाये यदि राजकीय लकड़ियॉ हैं तो उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया जाये।

(12) मादक पदार्थ आदि के निस्तारण के लिये प्रत्येक जनपद में एक इन्सीनरेटर की व्यवस्था की जाये।

(13) तहसील/थाना स्तर पर एक कार्यपालक/तहसीलदार मजिस्ट्रेट तथा जनपद स्तर पर एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल माल निस्तारण अधिकारी नियुक्त किया जाये जो माल निस्तारण की अद्यावधिक मासिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के

अभियोजन समीक्षा बैठक में रखेंगे।

(14) जिला मजिस्ट्रेट की मासिक अभियोजन समीक्षा बैठक, जिसमें पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हों, उसमें नोडल माल निस्तारण अधिकारी एवं थानों द्वारा प्रस्तुत मालों के निस्तारण की गहन समीक्षा की जाये।

(15) यदि न्यायालयों द्वारा मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में रूचि नहीं ली जा रहा है तो न्यायालयों से समुचित समन्वय हेतु मानीटरिंग सेल की बैठक में इसे रखा जाये।

(16) प्रत्येक थाने के थाना प्रभारी अथवा थानाध्यक्ष का वार्षिक मन्तव्य लिखने का एक आधार उसके क्षेत्राधिकार का माल निस्तारण भी रहेगा। समस्त पुलिस अधीक्षक/उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक यह कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि सदर मालखाना एवं थाना स्तर पर रखे मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में अभियान चला कर अधिक से अधिक मालों का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) श्री रवीन्द्र विकम सिंह(एच0जे0एस0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त जोनल, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष(द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ)।
(9) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
(10) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।